UPLL010020302022

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/273/2022

STATE OF U.P. Vs. Saurabh s/o Sheru Ahirwar

CHARGE

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त सौरभ पुत्र शेरू अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी कड़ेसराकला, थाना तालबेहट, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

1- यह कि घटना की दिनाँक 28.05.2022 को समय सुबह चार बजे व स्थान मकान वादिनी पर आप अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि घटना की दिनांक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादिया को घोर उपहति कारित करने के उद्देश्य से उसका गृह अतिचार किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादिया के दादा के साथ मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादिया के दादा को गाली-गलौज की गयी, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5- यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादिया के दादा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया है। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक-12.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक-12.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2022.10.12 17:38:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.</u>

<u>Sessions Case/273/2022</u>

STATE OF U.P. Vs. Saurabh s/o Sheru Ahirwar

12.10.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त सौरभ समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर वादिया के साथ बलात्कार किया गया है तथा वादिया के दादा के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी और जान से मारने की धमकी दी गयी है। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376, 452, 323, 504, 506 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376, 452, 323, 504, 506 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 19.11.2022 को पेश हो।

दिनॉक–12.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।